न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना, आर.ए.एस.

वाद संख्या :— 15 / दावा / 2018

1. नन्दकंवरी बाई आयु 35 वर्ष पत्नि श्री बाबूलाल जाति बैरवा निवासी विजयनगर तहसील के. पाटन जिला बून्दी (राज0)
2. सम्पत बाई आयु वर्ष पत्नि श्री घासीलाल जाति बैरवा निवासी छपावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
3. संजू बाई पत्नि श्री सुरेश जी आयु वर्ष जाति बैरवा निवासी तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
4. रंजना पत्नि श्री चन्द्रप्रकाश आयु वर्ष जाति बैरवा निवासी सीतापुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
5. कन्या बाई पत्नि श्री कालूलाल आयु वर्ष जाति बैरवा निवासी जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
6. महावीर आ0 श्री मोतीलाल आयु वर्ष जाति बैरवा निवासी जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
7. राजू आ0 श्री मोतीलाल आयु वर्ष जाति बैरवा निवासी जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
8. घीसी बाई पत्नि श्री देवेन्द्र पुत्री श्री मोतीलाल आयु वर्ष जाति बैरवा निवासी जवाहर नगर तहसील व जिला बून्दी (राज0)

— वादीगण

बनाम

1. कालू वल्द श्री नहन जी जाति मेघवाल़ निवासी जलोदी तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. नन्दकिशोर आ0 श्री बालू जाति मेघवाल़ निवासी जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
3. नन्दा वल्द श्री रामचन्द्र जाति मेघवाल़ निवासी जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
4. जर्ये प्रबंधक बून्दी चित्तौडगढ क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा तालेडा जिला बून्दी (राज0)
5. राजस्थान राज्य जर्ये उपपंजीयक महोदय उप पंजीयक कार्यालय तालेडा जिला बून्दी (राज0)
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार महोदय तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी तालेडा

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,188,209 आर.टी.एक्ट

वाद बाबत् खातेदारी अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरस्ती

उपस्थितः—

1 श्री नन्दसिंह सोंलकी अधिवक्ता, वादीगण।

Scanned by CamScanner

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 05.12.2018

1. वादीगण की ओर यह वाद पत्र खातेदारी अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 21.02.2018 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया गया।
2. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा सं. 296 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त कृषि भूमि को पूर्व खातेदार नहन जी आ0 श्री गुडक्या ने वादी सं. 1 लगायत 4 के पिता तथा वादी सं. 5 के पति स्व. श्री कालूलाल आ0 श्री खाना एवं वादी सं. 6 लगायत 8 के पिता स्व. श्री मोतीलाल आ0 श्री खाना निवासी जमीतपुरा को उक्त कृषि भूमि खसरा सं. 296 रकबा 2 बीघा में से 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि को दिनांक 21.04.1980 को नकद प्रतिफल प्राप्त करके जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान की थी तथा भौतिक रूप से मौके पर कब्जा संभलाया था तब से वाद वर्णित कृषि भूमि पर वादी सं. 1 लगायत 4 के पिता वादी सं. 5 के पति तथा प्रतिवादी सं. 6 लगा. 8 के पिता का कब्जा चला आ रहा था। उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण का वाद वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.04.1980 के माध्यम से प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के वाद वर्णित कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये तथा कोई हक अधिकार नही रहे। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के विरूद्ध रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.04.1980 के आधार पर खातेदारी अधिकारी की घोषणा करावे तथा प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे।
3. वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत सं. 4 के विरूद्ध दिनांक 26.03.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. वादीगण की ओर से साक्ष्य में राजू व नन्दकंवरी बाई के शपथ पत्र पेश किये तथा निम्न दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये जिनमें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.04.1980 प्रदर्श—1, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072—75 ग्राम जमीतपुरा प्रदर्श—2 है।
5. वादी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी वकील ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वाद पत्र की प्रार्थना में चाही गई रिलीफ वादी को प्रदान किये जाने का निवेदन किया। हमने वादी वकील की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। वादीगण के द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से बखूबी प्रमाणित किया है। न्यायालय के सामने मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण वाद वर्णित कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है या नही? इस सबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 41 व 42 के तहत एक खातेदार कृषक अपने खातेदारी अधिकार विक्रय पत्र के आधार पर अन्तरण कर

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा

Scanned by CamScanner

सकता है बशर्ते की वह विक्रय पत्र रजिस्टर्ड हो। यहां पर विक्रय पत्र प्रदर्श 1 रजिस्टर्ड है ऐसीस्थिति में वादीगण संयुक्त रूप से कृषि भूमि खसरा सं. 296 रकबा 2 बीघा में से 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते है।

—:: निर्णय ::—

परिणामस्वरूप वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा सं. 296 रकबा 2 बीघा में से 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेडा को वादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरस्त किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण को मौके से बेदखल नही करे एवं अन्यत्र रहन, बेचान नही करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 05.12.2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा

5/12/18

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज.)

Scanned by CamScanner